जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एण्ड पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1567 दि. 1.9.09

–: आदेश :–

विषय: कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" में पूर्व प्रसारित आदेश वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/499 दिनांक 09.06.09 में आंशिक संशोधन

निगम के आदेश क्रमांक 690 दिनांक 09.06.09 (वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/499) द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से, "स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना" लागू की थी। यह योजना सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिये 14 सितम्बर, 2009 तक प्रभावी है। वितरण समन्वय फोरम (डीसीएफ) की दिनांक 22.07.09 को हुई 12 वीं बैठक में पुन: विचार विमर्श कर इस योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:–

(i) वर्तमान में स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना को उन कृषि उपभोक्ताओ को प्रदान करनी है जिनके कनेक्शनों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। ऐसे उपभोक्ता मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित करवा सकते है।

(ii) जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु उनके लिये उन्हे धरोहर राशि के अतिरिक्त रू. 2500/-- प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होंगे।

(iii) यदि पद (ii) में इंगित उपभोक्ता वर्तमान में चालू योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका लोड स्वीकृत लोड से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति एच.पी. रू 5000/– (2500 +2500) पैनेल्टी जमा करानी होगी।

उपरोक्त आदेश, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/499 में आंशिक संशोधन कर जारी किये जा रहे है। यह योजना पूर्व निर्धारित अवधि अर्थात 14 सितम्बर, 2009 तक लागू रहेगी।

आज्ञा से

(एम.एल.त्रिपाठी)
उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट: यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है।